रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072021-228336
CG-DL-E-16072021-228336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 16, 2021/आषाढ़ 25, 1943
No. 394]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 16, 2021/ASHADHA 25, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 492(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप कतिपय नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 734(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 25 नवम्बर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पंद्रहवॉ संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 81 की, सारणी में, क्रम संख्यांक 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“16.	विंटेज मोटर यानों के रूप में रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना	बीस हजार	81ग
17.	विंटेज मोटर यानों के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का पुनः रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण	पांच हजार	81ग”।

3. उक्त नियमों में, अध्याय 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“अध्याय 3क

विंटेज मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विशेष उपबंध

81क. विंटेज मोटरयान के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन और जारी करने की प्रक्रिया.- (1) किसी विंटेज मोटरयान के लिए रजिस्ट्रीकरण या पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 20 के अनुसार किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न किया जाएगा,-

(i) बीमा पॉलिसी;

(ii) नियम 81 में यथा विनिर्दिष्ट समुचित फीस;

(iii) आयातित विंटेज मोटरयानों की दशा में प्रवेश पत्र;

(iv) भारत में पहले से रजिस्ट्रीकृत यान की दशा में पुराना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए, “विंटेज मोटर यान” से एल1 और एल2 प्रवर्गों (दुपहिया) और एम1 प्रवर्ग (चार पहिया) के लिए इस आदेश में यथा परिभाषित विंटेज यान प्रवर्गों के अधीन वर्गीकृत कोई यान अभिप्रेत है जो प्रथम विक्रय के पश्चात्, प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पचास वर्ष से अधिक पुराना है और जिसके अंतर्गत भारत में आयातित कोई यान, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसा यान उसके मूल रूप में रखा जाना और उसमें कोई सारवान परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें चेसेस या बॉडी शेल या इंजन में कोई उपांतरण भी सम्मलित है, भी है ।

(2) राज्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत विंटेज मोटर यान के स्वामी को ऐसे आवेदन की प्राप्ति से साठ दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 23क के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसे प्रमाणपत्र की विशिष्टियों तथा उसके परिवर्तनों को राष्ट्रीय रजिस्टर में भी दर्ज करेगा :

परंतु किसी मोटरयान के पुराने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, यदि कोई है, को विंटेज मोटर यान के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे रद्द हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उसका स्वामी केवल ऐतिहासिक प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित कर सकेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण करने वाला प्राधिकारी पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण के पूर्ण रिकॉर्ड बनाए रखेगा और स्वामित्व रिकॉर्ड तथा सभी ऐसे रिकॉर्ड पोर्टल पर अद्यतन किए जाएंगे ।

(4) यदि किसी विंटेज मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, किसी समय कोई आवेदन,

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रतिलिपि जारी करने:

(ii) मोटरयान के स्वामित्व का अंतरण करने; या

(iii) पता परिवर्तन करने,

के संबंध में, रजिस्ट्रीकरण करने वाले प्राधिकारी को दिया जाएगा तो ऐसा आवेदन मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन उपबंधित रीति में दिया जाएगा और ऐसी फीस जो केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के अधीन विहित है, संलग्न की जाएगी ।

81ख. विंटेज मोटर यानों पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रदर्शित करने का प्ररूप और रीति.- (1) रजिस्ट्रीकरण करने वाला प्राधिकारी, ऐसे यानों के नए रजिस्ट्रीकरण के लिए, अधिनियम की धारा 41 के अधीन, विंटेज मोटर यान को उसपर प्रदर्शन के लिए , **“XX VA YY ****”**से मिलकर बने रजिस्ट्रीकरण चिह्न, जहां **VA** से विंटेज, **XX** से राज्य कोड, **YY** से दो अक्षर की श्रृंखला और **“****”** संख्यांक 0001 से 9999 हैं जो राज्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा आबंटित किए जाते हैं, समनुदेशित करेगा ।

(2) किसी विंटेज मोटर यान को समनुदेशित रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, यान के आगे और पीछे रजिस्ट्रीकरण प्लेट से संबंधित आकार और विशिष्टियों के अनुसार स्पष्ट और पठनीय प्ररूप में प्रदर्शित किया जाएगा और यह इन नियमों के नियम 50 और नियम 51 में बताई गई विशिष्टियों के अनुरूप होगा ।

(3) वे सभी यान जो विंटेज मोटर यान के रूप में पहले से रजिस्ट्रीकृत हैं, मूल रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और बिना किसी परिवर्तन के रजिस्ट्रीकरण प्लेट प्रतिधारण करते रहेंगे ।

(4) सभी ऐसे विंटेज मोटर यानों को नियम 50 के अधीन आज्ञापित उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट के उपबंधों से छूट होगी ।

81ग. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता.- रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दस वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और उसके पश्चात पश्चात्वर्ती पांच वर्षों के लिए नवीकरणीय होगा ।

81घ. क्रय और विक्रय.- (1) विंटेज मोटर यान के रूप में रजिस्ट्रीकृत यानों का क्रय और विक्रय अनुज्ञेय है परंतु क्रेता और विक्रेता संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकरण को सूचित करें और नए स्वामी के नाम में रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों में दर्ज किया जाए और क्रेता तथा विक्रेता दोनों की यह संयुक्त जिम्मेदारी होगी कि वे इस संबंध में क्रय और विक्रय के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण को जानकारी देंगे ।

81ङ. प्रयोग पर निर्बंधन.- नियमित प्रयोजनों के लिए सड़कों पर विंटेज मोटर यान चलाए या उपयोग में नहीं लाए जाएंगे और किन्हीं भी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किए जाएंगे ।"।

(4) उक्त नियमों में, नियम 92 में, उपनियम (2) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) जो विंटेज मोटर यान के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ।"।

[फा. सं. आरटी-11036/45/2017-एमवीएल पीटी.1]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 435(अ), तारीख 18 जून, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2021

G.S.R. 492(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Motor Vehicles Rules, 1989 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 734 (E), dated the 25th November, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 25th November, 2020;

And whereas, the objections and suggestions received in respect of the said draft rules within the period so specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 64 read with section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Fifteenth Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 81, in the table, after serial no. 15 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"16.	Registration and Issue of certificate of registration for Vintage Motor Vehicles	Twenty Thousand	81C
17.	Re-registration/ Renewal of certificate of registration for Vintage Motor Vehicles	Five Thousand	81C.".

3. In the said rules, after Chapter III, the following Chapter shall be inserted, namely:-

"CHAPTER IIIA

SPECIAL PROVISION FOR REGISTRATION OF VINTAGE MOTOR VEHICLES

81A. Procedure of application and issuance of Certificate of Registration as a Vintage Motor Vehicle.– (1) An application for registration or re-registration of a vintage vehicle shall be made as per Form 20 and every application for registration shall be accompanied by,-

(i) a policy of insurance;

(ii) appropriate fee as specified in rule 81;

(iii) Bill of Entry in the case of imported vintage motor vehicles;and

(iv) old Registration Certificate in case of already registered vehicle in India.

***Explanation*.-** For the purpose of thisrule, "Vintage Motor Vehicle" means any vehicle classified under vintage vehicle category as defined in this order for L1 and L2 categories (two-wheeler) and M1 category (four-wheeler), which is more than fifty years old from the date of first registration after first sale including any vehicle imported into India subject to the condition that such vehicle should be maintained in its original form and should not have undergone any substantial overhaul, which includes any modification in chassis or body shell or engine.

(2) The State Registering Authority shall issue to the owner of a Vintage Motor Vehicle registered by it, a certificate of registration, as per Form 23A within a period of sixty days from the receipt of such an application and shall also enter in the National register, the particulars of such certificate and changes thereof:

Provided that the old certificate of registration of a motor vehicle after being registered as Vintage Motor Vehicle, if any, shall be cancelled and the owner may retain such cancelled certificate of registration for historical purposes only.

(3) The Registering Authority shall maintain a complete record of previous registration and ownership record and all such records shall be updated on the portal.

(4) If, at any time after the registration of a Vintage Motor Vehicle, an application shall be made to the registering authority regarding, -

(i) issuance of a duplicate certificate of registration:

(ii)transfer of ownership of the motor vehicle; or

(iii) change of address,

such application shall be made in the manner provided under the Motor Vehicles Act, 1988 and be accompanied by such fees as prescribed under theCentral Motor Vehicles Rules, 1989.

81B. Form and manner of display of registration marks on Vintage Motor Vehicles. - (1) For fresh registration of such vehicles, under section 41 of theAct, the Registering Authority shall assign to a Vintage Motor Vehicle for display thereon, a registration mark consisting of the letters "XX VA YY ****", where VA stands for Vintage, XX stands for State code, YY will be a two letter series and "****" is a number from 0001 to 9999 allotted by State Registering Authority.

(2) The registration mark assigned to a Vintage Motor Vehicle shall be exhibited both at the front and at the rear of the vehicle clearly and legibly in the form of a license plate in the size and specifications related to registration plate and it shall conform to the specifications spelt out in rules 50 and 51 of these rules.

(3) All those vehicles which are already registered as Vintage Motor Vehicle shall continue to retain the original registration number and registration plate intact without any change.

(4) All such Vintage Motor Vehicles shall be exempted from the provisions of High Security Registration Plate as mandated under rule 50.

81C. Validity of the certificate of registration.– The certificate of registration shall be valid for a period of ten years and shall be renewable for subsequent five years thereafter.

81D. Sale and Purchase.– (1) Sale and purchase of vehicles registered as the Vintage Motor Vehicle is permissible provided the buyer and seller inform respective State Transport Authority and registration under the new owner's name to be recorded and it shall bethe joint responsibility of both buyer and seller that information in this regard shall be submitted to the authority within ninety days of sale and purchase.

81E. Restriction on uses. – Vintage Motor Vehicles shall not be driven or plied on the roads for regular purposes and shall not be used for any commercial purposes whatsoever.".

4. In the said rules, in rule 92, in sub-rule (2), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -

"(c) which is registered as Vintage Motor Vehicle:".

[F. No. RT-11036/45/2017-MVL Pt.1]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vid*e notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 435(E),.dated 18th June, 2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.16 19:54:02 +05'30'